रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938
No. 410] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

का.आ. 453(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत का ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् डीडीयू-जीकेवाई कहा गया है), कौशल प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम, जो ग्रामीण गरीब युवा के स्थायी नियोजन पर बल देता है, केंद्रित है, का प्रशासन कर रहा है ;

और डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदे भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय में सम्मिलित हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है :

1. (1) डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए ।

(2) डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदे प्राप्त करने का

इच्छुक है, को 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा और इस हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों) की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने के लिए प्रभारी विभाग, जो राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन में किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे और जो अभी तक आधार संख्यांओं में नामांकित नहीं हुए हैं और यदि उनके आस-पास में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों में डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने के लिए प्रभारी विभाग, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगी या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा ।

परंतु ऐसे व्यष्टि को, आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, डीडीयू-जीकेवाई के अधीन सहायिकी निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र ; या (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्यांक ; या (iii) पासपोर्ट ; या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति ; या (v) तहसीलदार या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी, ऐसे सदस्य के फोटो सहित, पहचान प्रमाणपत्र ; या (vi) पोस्ट विभाग द्वारा जारी पता कार्ड, जिसमें नाम और फोटो लगा हो ; या (vii) बैंक पासबुक ; या (viii) किसान फोटो पहचान पत्र ; या (ix) राशन कार्ड ; या (x) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

पंरतु और यह कि उपरोक्त दस्तावेजों को राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने के लिए प्रभारी विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा चैक किया जाएगा ।

2. डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधा रहित रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने के लिए प्रभारी विभाग द्वारा सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

(i) डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या योजना लागू करने वाले अभिकरणों के माध्यम से डीडीयू-जीकेवाई लागू करने के लिए प्रभारी विभाग द्वारा व्यापक प्रचार करके डीडीयू-जीकेवाई के अधीन आधार संख्यांक की अपेक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें यह सलाह दी जा सकेगी कि वे अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में नामांकन करवाएं, यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ii) डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदाग्राहियों के आसपास, जैसे ब्लाक या तालुका या तहसील नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने के लिए प्रभारी विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और फायदाग्राहियों से अपने पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ अपने नामों को पैरा 1 के उपपैरा (3) के खंड (ख) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरों के साथ योजना लागू करने वाले अभिकरणों या राज्य सरकारों के डीडीयू-जीकेवाई के प्रभारी नोडल अभिकरण या ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेब पोर्टल को देकर नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. जे-17060/59/2015-डीडीयू-जीकेवाई]

अल्का उपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2017

S.O. 453(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, in the Government of India, Ministry of Rural Development is administering the DeenDayalUpadhyayaGrameenKaushalyaYojana (hereinafter referred to as the DDU-GKY), the skill training and placement programme is focused on the rural poor youth with emphasis on sustainable employment;

And whereas, the benefits under DDU-GKY involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible to receive benefits under the DDU-GKY shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) All individuals eligible to receive benefits under the DDU-GKY, who do not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the DDU-GKY Shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department in charge of DDU-GKY implementation in the State Government or Union territory Administrations which requires an individual to furnish proof of possession of Aadhaar number and shall ensure Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar number and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity, the Department in charge of DDU-GKY implementation in the State Government or Union territory Administrations may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) (hereinafter referred to as the UIDAI) or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar number is assigned to the beneficiary under the DDU-GKY, the benefits under the DDU-GKY shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (ii) of paragraph 2; and

(b) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Bank Photo Passbook; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Ration Card; or (x) any other document as specified by the State Government or Union territory Administrations :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department in charge of DDU-GKY implementation in the State Government or Union territory Administrations for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the DDU-GKY to beneficiary the Department in charge of DDU-GKY implementation in the State Government or Union territory Administrations shall make all the required arrangements including the following; namely:-

(i) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of DDU-GKY implementation in the State Government or Union territory Administrations, or Project Implementing Agencies, shall be given to beneficiaries under the DDU-GKY to make them aware of the requirement of Aadhaar number under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.

(ii) In case, beneficiaries are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the vicinity such as Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of DDU-GKY implementation in the State Government or Union territory Administrations are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries under the DDU-GKY may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the clause (b) to first proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1 with their Project Implementing Agencies or State Nodal Agency in- charge of DDU-GKY or through the web portal of Ministry of Rural Development.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the all States and Union territories Administrations except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[J-17060/59/2015-DDU-GKY]

ALKA UPADHAYAYA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.20 11:34:25 +05'30'